जल जीवन मिशन–"हर घर नल से जल योजना" के अन्तर्गत दिनांक 08.02.2023 को जिलाधिकारी महोदय, गोण्डा की अध्यक्षता में जनपद–गोण्डा हेतु नामित एजेन्सी–मेस.र्स लारसेन एण्ड टूब्रो, माउन्ट पूनमल्ली रोड, मनपक्कम, चेन्नई एवंमेसर्स के0एल0एस0आर0 रेज़ (JV) जनपद गोण्डाद्वारा ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतुडी0डब्ल्यू0एस0एम0, गोण्डा को प्रस्तुत किये गये प्राक्कलन (डी0पी0आर0) परीक्षणहेतुजिला पेयजल एवंस्वच्छता मिशन गोण्डा के बैठक का कार्यवृत्त।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम–"हर घर नल से जल योजना" के अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के माध्यम से जलापूर्ति उपलब्ध कराये जाने के लिए फेज़–2 में जनपद–गोण्डा हेतु नामित एजेन्सी–मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो, माउन्ट पूनमल्ली रोड, मनपक्कम, चेन्नई द्वारा ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु डी0डब्ल्यू0एस0एम0, गोण्डा को प्रस्तुत किये गये 38 ग्राम पंचायतों के 38 नग प्राक्कलन जिसमें 57 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं एवं फेज़–5 में मेसर्स के0एल0एस0आर0 रेज़ द्वारा ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु डी0डब्ल्यू0एस0एम0, गोण्डा को प्रस्तुत किये गये 43 ग्राम पंचायतों के 28 नग प्राक्कलन जिसमें 54 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं को परीक्षण एवं अन्य बिन्दुओं पर विचार विमर्श हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन गोण्डा की बैठक दिनांक 08.02.2023 को कलेक्ट्रेट सभागार, गोण्डा में आयोजित की गई। जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्यों एवं नामित एजेन्सी के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. मुख्य विकास अधिकारी, गोण्डा।
2. प्रभागीय वन अधिकारी, गोण्डा।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोण्डा।
4. जिला विकास अधिकारी, गोण्डा।
5. जिला कृषि अधिकारी, गोण्डा।
6. जिला सूचना अधिकारी, गोण्डा।
7. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोण्डा।
8. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), गोण्डा।
9. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड–प्रथम, गोण्डा।
10. अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, गोण्डा।
11. अध्यक्ष द्वारा नामित जल प्रबन्धन, सामुदायिक विकास, सामुदायिक स्वास्थ्य क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति।
12. जिला समन्वयक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, गोण्डा।
13. परियोजना प्रबन्धक मे. लारसेन एण्ड टूब्रो, गोण्डा।
14. जनपदीय टीम लीडर, मे सेन्सिस टेक लि, (टी.पी.आई.)।

1–फर्म एल0 एण्ड टी0 एवं मेसर्स के0एल0एस0आर0 रेज़ (JV) द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलनों के स्वीकृति हेतु :–

सदस्य सचिव द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति को अवगत कराया गया कि, जनपद हेतु सूचीबद्ध कार्यदायी फर्म मे. लारसेन एण्ड टूब्रो, माउन्ट पूनमल्ली रोड, मनपक्कम, चेन्नई द्वारा 38 नग पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन, जिससे 38 ग्राम पंचायतें/57 राजस्व ग्राम पेयजल योजना से आच्छादित होंगे एवं मेसर्स के0एल0एस0आर0 रेज़ द्वारा 28 नग पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन, जिससे 43 ग्राम पंचायतें/54 राजस्व ग्राम पेयजल योजना से आच्छादित होंगे के विस्तृत प्राक्कलन जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गोण्डा के माध्यम से उपलब्ध कराये गये है। पेयजल योजना के प्राक्कलनों के स्वीकृति/संस्तुति हेतु शासनादेश संख्या 36/2021/1599/ छिहत्तर–1–2021–25 सम/2019 दिनांक 08.07.2021 के क्रम में फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो के द्वारा तैयार किये गये 38 नग प्राक्कलनों में 34 नग प्राक्कलन की लागत 5 करोड़ से कम एवं प्रति व्यक्ति लागत रू0 6000 से कम हैं एवं 04 नग प्राक्कलनों की लागत 5 करोड़ से अधिक तथा प्रति व्यक्ति लागत रू0 6000 से कम है इसी प्रकार फर्म मेसर्स के0एल0एस0आर0 रेज़ (JV) द्वारा तैयार किये गये 28 नग प्राक्कलनों में 27 नग प्राक्कलन की लागत 5 करोड़ से कम एवं प्रति व्यक्ति लागत रू0 6000 से कम हैं तथा 01 नग प्राक्कलन की लागत रू0 5 करोड़ से अधिक एवं प्रति व्यक्ति लागत रू0 6000 से कम है, 6000 से कम प्रति व्यक्ति लागत के कुल 66 नग प्राक्कलनों को स्वीकृति हेतु संस्तुति सहित राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को अग्रसारित कियेजाने हेतु बैठक में विचार विमर्श किया गया।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि, फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो द्वारा खण्ड कार्यालय को उपलब्ध कराये गये 38 नग प्राक्कलनों एवं मेसर्स के0एल0एस0आर0 रेज़ (JV) द्वारा उपलब्ध कराये गये 28 नग प्राक्कलनों का तकनीकी परीक्षण नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1, उ.प्र. शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या 51/2021/1883/छिहत्तर–1– 2021–25सम/2019 दिनांक 06.08.2021 में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया। तकनीकी परीक्षण में प्राक्कलन शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के निर्देशों का अनुपालन में फर्मों से कराते

हुए समस्त प्राप्त प्राक्कलनों की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (गो0क्षे0) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर द्वारा प्रदान की गयी।

सदस्य सचिव द्वारा निम्नानुसार विवरण उपलब्ध कराया गया :–

क्रम सं0	शासनादेश के अनुसार निर्देश	उपलब्ध कराये गये प्राक्कलनों की स्थिति
1	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के आंकलन के अनुसार योजनाओं की प्रति व्यक्ति कार्य लागत डिजाइन वर्ष के लिये जनपद का औसत रू. 6000.00 से कम होने की स्थिति सामान्यतः स्वीकार्य होनी चाहिए।	प्राप्त 66 नग प्राक्कलनों की प्रति व्यक्ति कार्य लागत डिजाइन वर्ष के लिये जनपद का औसत रूपये 6000.00 से कम है जिसकी स्वीकृति हेतु शासनादेश सं0 51/2021/1883/छिहत्तर – 1–2021–25सम/2019 दिनांक 06.08.2021 में दिये गये निर्देश के क्रम में स्थलीय निरीक्षण के अनुसार ग्राम पंचायत की कम जनसंख्या, अभिकल्पित 2052 की कम जनसंख्या, बिखरी हुई बसावट के फलस्वरूप वितरण प्रणाली की अधिक लम्बाई, स्वीकृत एस0ओ0आर0 मुख्यतः कारण है। (संलग्नक–1)
2	पम्पिंग प्लान्ट की डिजाइन में हेड अधिकतम 50 मीटर होना चाहिये। विशेष परिस्थितियों मे 50 मीटर से अधिक होने पर इसका परीक्षण अधिशासी अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक द्वारा करते हुए प्रतिवेदन में अंकित किया जाये।	समस्त प्राक्कलनों में हेड 50 मी0 से कम है। अतः निर्देश के अनुरूप हैं।
3	सोलर पी.वी. माड्यूल की क्षमता (किलोवाट), पम्प की क्षमता (हार्स पावर) से अधिकतम 1.4 गुना होनी चाहिए।	समस्त प्राक्कलनों में सोलर पम्प की क्षमता 1.4 गुना है अतः निर्देश के अनुरूप हैं।
4	रोड कटिंग एवं पुर्ननिर्माण की लागत, वितरण प्रणाली की लागत 25 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में इसका शत प्रतिशत स्थलीय निरीक्षण करते हुए पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा एवं इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा कि इस कार्य की मात्रा कार्य स्थल के अनुरूप ली गई है।	समस्त प्राक्कलनों में रोड कटिंग एवं पुर्ननिर्माण की लागत, वितरण प्रणाली की लागत 25 प्रतिशत तक है। अतः निर्देश के अनुरूप हैं।
5	योजना की डिजाइन, जनसंख्या की गणना विभिन्न विधियों से की जायेगी, परन्तु आधार वर्ष से अधिकतम 80 प्रतिशत की वृद्धि अनुमन्य होगी ।	समस्त प्राक्कलनों में योजना की डिजाइन, जनसंख्या अधिकतम 60 प्रतिशत की वृद्धि ली गयी है। अतः निर्देश के अनुरूप हैं।
6	प्रति घर व्यक्तियों की संख्या आधार वर्ष की जनसंख्या के अनुसार 4 से 8 के बीच होनी चाहिए ।	समस्त प्राक्कलनों में प्रति घर व्यक्तियों की संख्या आधार वर्ष की जनसंख्या के अनुसार 4 से 8 के बीच है अतः निर्देश के अनुरूप हैं।
7	वितरण प्रणाली में सैण्ड बेडिंग नही देय होगी ।	समस्त प्राक्कलनों में वितरण प्रणाली में सैण्ड बेडिंग का प्राविधान नहीं किया गया है। अतः निर्देश के अनुरूप हैं।
8	जलकल परिसर में मिट्टी भराई अनुमन्य नही होगी। जलकल परिसर के लिये उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होने एवं मिट्टी भराव अपरिहार्य होने की स्थिति में विस्तृत सर्वे कर मात्रा की गणना की जाये एवं जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा स्पष्ट संस्तुति करते हुए डी. पी.आर. प्रस्तुत किया जाये।	समस्त प्राक्कलनों में जलकल परिसर में मिट्टी भराई का प्राविधान नहीं किया गया है अतः निर्देश के अनुरूप हैं।

9	कार्य स्थल तक सम्पर्क मार्ग हेतु बी.ओ.ई. का डी.पी.आर. में प्राविधान किया जाये।	समस्त प्राक्कलनों में कार्य स्थल तक सम्पर्क मार्ग हेतु बी.ओ.ई. का डी.पी.आर. में प्राविधान आवश्यकता के अनुरूप किया गया है। अतः निर्देश के अनुरूप हैं।
10	स्पेयर पम्पस् हेतु प्राविधान अनुमन्य नहीं होगा।	समस्त प्राक्कलनों में स्पेयर पम्पस् हेतु प्राविधान नही किया गया है। अतः निर्देश के अनुरूप हैं।
11	योजनाओं का विरचन यथासम्भव ग्राम पंचायत को इकाई मानते हुए किया जाये। विशेष परिस्थितियां जैसे-भूमि की उपलब्धता न होना एवं उपयुक्त गुणवत्ता एवं मात्रा में भूजल का उपलब्ध न होना अथवा प्रति व्यक्ति लागत अधिक आने की स्थिति में बहुल पंचायत योजना का भी विरचन किया जा सकता है। यथासंभव ग्रामों का चयन क्लस्टर में किया जाए ताकि कार्य की प्रति व्यक्ति लागत न्यूनतम रह सके।	समस्त प्राक्कलनों में योजनाओं का विरचन ग्राम पंचायत को इकाई मानते हुए किया है उक्त के अतिरिक्त प्रति व्यक्ति लागत अधिक आने की दशा में 14 बहुल ग्राम पंचायत योजनाओं के प्राक्कलन तैयार किये गये हैं। अतः निर्देश के अनुरूप हैं।
12	योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-16/2021/978/छिहत्तर-1-2021-25सम/2019 दिनांक19.03.2021 तथा शासनादेश संख्या-36/2021/1599/छिहत्तर-1-2021-25सम/2019 दिनांक 08.07.2021 के द्वारा रु 5.00 करोड़ की लागत तक की योजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति का अधिकार जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रदान किये जाने के फलस्वरूप इस सीमा तक योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति उत्तर प्रदेश जल निगम के सक्षम स्तर द्वारा प्रदान की जायेगी ।	समस्त प्राक्कलनों में शासनादेश के अनुसार तैयार कर स्वीकृति की कार्यवाही की गयी है। अतः निर्देश के अनुरूप हैं।
13	परियोजना की कार्य लागत में जी.एस.टी., कन्टीजेन्सी एवं विद्युत संयोजन (विद्युत आधारित योजनाओं में) की लागत को शामिल किया जाये।	समस्त प्राक्कलनों में कार्य लागत में जी.एस.टी., कन्टीजेन्सी एवं विद्युत संयोजन (विद्युत आधारित योजनाओं में) की लागत को शामिल है। अतः निर्देश के अनुरूप हैं।
14	जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा योजनाओं के राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति में स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संलग्न प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाये।	समस्त प्राक्कलनों में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा योजनाओं के राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति में स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संलग्न प्रारूप पर है अतः निर्देश के अनुरूप हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त योजना के संचालन एवं रखरखाव में समय-समय पर आवश्यक डी0जी0 सेट का फर्म द्वारा योजना के कार्य लागत में प्राविधान किया गया है जिसे योजना की कार्य लागत में सम्मिलित करने हेतु उपरोक्त शासनादेश अथवा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के किसी पत्र में उल्लेख नहीं है। सदस्य सचिव द्वारा पत्र सं0 4327/यो0-50/783 दिनांक 21.10.2022 के माध्यम से अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ से मार्गदर्शन मांगा गया था। जो वर्तमान तक अप्राप्त है। अतः डी0जी0 सेट की लागत को योजना के कार्य लागत में सम्मिलित कर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा स्वीकृत किया जाना सम्भव नही है। भविष्य में उक्त हेतु शासन/राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

आयोजित बैठक में 66 नग पेयजल योजनाओं के विस्तृत प्राक्कलनों पर स्वीकृति/संस्तुति हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के समस्त सदस्यों से विचार विमर्श किया गया। समिति द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में समस्त 66 नग प्राक्कलनों की जनपद स्तर/राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, स्तर से योजनाओं की स्वीकृति/संस्तुति हेतु सहमति इस आशय के साथ प्रदान की गयी कि फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राक्कलनों की ग्राम पंचायत स्तर से भी इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करें कि, सम्मिलित ग्राम पंचायतों के समस्त मजरे प्राक्कलन में सम्मिलित हैं एवं प्राक्कलन ग्राम पंचायत की आवश्यकता के अनुरूप बनाया गया है। चूंकि योजनाओं के प्राक्कलन

फर्म द्वारा तैयार किये जा रहे है अतः कार्य के समय प्राक्कलन मे विचलन हेतु फर्म पूर्ण [illegible] होगी। अध्यक्ष/उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार प्राक्कलनों को अधिशासी अभियन्ता उ0[illegible] (ग्रामीण), गोण्डा के माध्यम से प्राक्कलनों की प्रति शासन को प्रेषित करने हेतु निर्देश दिये गये।

4–भूमि आवंटन की स्थिति :–

सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अवगत कराया गया कि, जनपद में जनपद में कार्य कर रही फर्म मैसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो को निर्धारित कुल लक्ष्य 846 ग्राम पंचायतों के पेयजल योजनाओं के जलकल परिसर की भूमि आवंटन की कार्यवाही के क्रम में वर्तमान तक 810 ग्राम पंचायतों में एवं फेज–5 अन्तर्गत सूचीबद्ध फर्म M/s KLSR-RAYS(JV)को निर्धारित लक्ष्य 186 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 167 ग्राम पंचायतों मेंभूमि आवंटित कर दी गयी हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा मैसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो के शेष 36 ग्राम पंचायतों एवं M/s KLSR-RAYS(JV)के शेष 19 ग्राम पंचायतों में भूमि आवंटन की कार्यवाही हेतु मुख्य राजस्व अधिकारी को निर्देशित किया गया।

कार्यवाही– मुख्य राजस्व अधिकारी/समस्त उप जिलाधिकारी।

बैठक के अन्त में जिलाधिकारी/अध्यक्ष महोदय द्वारा जल जीवन मिशन अन्तर्गत जनपद में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं यथा– आई0एस0ए0, टी0पी0आई0, डी0पी0एम0यू0 को उनके द्वारा कराये जाने वाले कार्यों को शासन/प्रशासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार निष्पादित कराने के निर्देश दिये एवं जनपद की सूचीबद्ध फर्म मैसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो एवं M/s KLSR-RAYS(JV) को अवशेष ग्राम पंचायतों के प्राक्कलन शासन द्वारा निहित निर्देशों का अनुपालन करते हुए यथा शीघ्र तैयार कर तकनीकी परीक्षण हेतु कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को उपलब्ध कराने एवं निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं की कार्य की प्रगति बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(गणेश प्रसाद)
अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव

जिला विकास अधिकारी गोण्डा।	सदस्य	
प्रभागीय वन अधिकारी गोण्डा।	सदस्य	
मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोण्डा।	सदस्य	
बेसिक शिक्षा अधिकारी गोण्डा।	सदस्य	
अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई गोण्डा।	सदस्य	
अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल गोण्डा।	सदस्य	
जिला कृषि अधिकारी गोण्डा।	सदस्य	
अध्यक्ष द्वारा नामित इन क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति– जल प्रबन्धन, सामुदायिक स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास।	सदस्य	
मुख्य विकास अधिकारी गोण्डा।	उपाध्यक्ष	
जिलाधिकारी गोण्डा।	अध्यक्ष	

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) गोण्डा।

पत्रांक : 366 / प्रो-50 / 133 दिनांक–15-2-23

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

7. अधिशासी निदेशक, राज्यपेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता (गो0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर।
10. अधीक्षण अभियन्ता, देवीपाटन मण्डल, उ.प्र. जल निगम, गोण्डा।
11. मे. लारसेन एण्ड टूब्रो, माउन्ट पूनमल्ली रोड, मनपक्कम, चेन्नई
12. मेसर्स के0एल0एस0आर0 रेज़ (JV) जनपद गोण्डा।

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव

F:\Data-2023\Meeting\Karyvrit.docx